विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा

की

वर्ष 1982-83

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

प्रकाशक :

निदेशक विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

विषय-सूचि

क्र0 सं0	अध्याय-शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	समीक्षा	1 —12
	राष्ट्रीय एकता	13—14
1.	शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन	15—18
2.	प्राथमिक शिक्षा	19—24
3.	माध्यमिक शिक्षा	25—32
4.	प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा	33—38
5.	महिला शिक्षा	39—41
6.	शिक्षा सुधार कार्यक्रम	42—43
7.	छात्रवति एवं अन्य वित्तीय सहायता	44—46
8.	विविध	47—53

NIEPA DC

D04497

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi 110016
DOC. No. D-4497
Date 12-11-87

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF SCHOOL EDUCATION DEPTT FOR THE YEAR 1982-83

The development of school Education was kept at the same pace by Education Department during 1982-83 as in the previous year. Besides the Govt. institutions and the non-Govt. institutions also played an important role in the development of education

The activities of education department can be devided in the following categories :—

1. Development in school education.

2. Improvement in the standard of school education.

3. Adult education and non-formal education.

4. Other activities.

1. Development in School Educatoin

The number of schools during the period under report was 7606 out of which there were 27 pre-primary, 4833 primary, 1044 middle and 1702 High/Higher secondary schools. During the period under the report, 17 branch primary schools were upgraded to full fledged primary schools, 200 primary schools were upgraded to middle standard, 100 middle schools were upgraded to High Standard and 5 non-Govt schools were taken over by the Government

During the period under report the number of students reading in schools in the State was 2125300, out of which the number of students reading in pre-primary schools/Balwadies was 1191, the number of students reading in primary schools was 609671, the number of students reading in middle schools was 336401 and the number of students reading in High/Higher Secondary schools was 1178037. The number of the students of the scheduled castes was 356013 out of which the number of students in pre-primary schools/Balwadies was 322, in primary schools was 137467, in middle schools was 56704 and in High/Higher Secondary Schools was 161520.

The percentage of the school going children in various age group was 105.42 percent boys and 64.65 percent girls in the age group 6-11, 72.88 percent boys and 30.02 percent girls in the age group of 11-14 and 31.00 percent boys and 11.20 percent girls in the age group of 14-17. The percentage of the school going children of the various age groups of scheduled castes was 111 07 percent boys and 62.01 percent girls in the age group of 6-11, 53.93 percent boys and 12.07 pecent girls in the age group of 11-14 and 20.29 percent boys and 2.64 percent girls in the age group of 14-17.

During the period under report, the number of teachers in schools was 59651 out of which 34 were in pre-primary schools/ Balwadies 14979 were in primary schools, 9384 in middle schools and 36249 were in High/Higher Secondary Schools.

The expenditure on school education was Rs. 7760.99 lakhs out of which 6944.89 lacs was on non-plan side and Rs. 816.10 lacs was on plan side.

A grant of Rs. 60.77 lac was provided to non-Govt. school in 1982-83. 75 percent amount of the deficit of non-Government Primary, Middle and High/Higher Secondary Schools in Haryana is met by the Government.

Free education is provided to the students of Ist to 8th classes in Haryana. An incentive of Rs. 5 per student per annum is given to the children of scheduled castes and weaker sections in the State for purchase of stationery etc. Rs. 5.00 lakhs were arranged for this purpose in the year 1982-83. For promoting the girls education, free uniforms of the amount of Rs. 17.52 lacs were provided to Harijan girls of primary classes and attendance scholarships amounting to Rs. 48 lacs were awarded to 40,000 Harijan girls at the rate of rupees ten per child per month.

For promoting the girls education in Haryana, tuition fee from girls is charged less than that charged from the boys in High/Higher Secondary classes. The rate of fee in case of girls students, studying in sixth to eleventh classes in non-Govt schools also is less than that charged from the boys.

During the period under report 9078 merit scholarships were awarded on which Rs 11.63 lakhs were spent. A sum of Rs. 28.23 lakh was provided to 502 Haryanavi students reading in Sainik Schools as Scholarships and clothing allowances. A Scholarships

at the rate of Rs. 10/- per month is given to a student who reads Telgu. A sum of Rs. 37740/- was arranged for this purpose in the year 1982-83. A sum of Rs. 75.43 lakh was arranged for providing scholarships and other financial aids to the boys/girls of scheduled castes and backward classes The Harijan girls of the 9th to 11th classes are given to merit scholarships in each class at the rate of Rs. 40/-, Rs. 50/- and Rs 60/- per month per student respectively. The State Government Awards 5 merit scholarships in each development block for the middle stage students. A sum of Rs. 2.73 lakhs was arranged for this scheme in the year 1982-83. The students who get merit in middle/ High School examination but are unable to get the merit scholarships due to the income of their parents (gaurdians) exceeding Rs. 10,000/- per annum, are provided Rs. 50/- as token prize and a merit certificate per student.

2 **Improvement in the standard of Education**

A sum of Rs. 3.00 Lakh was distributed amongst 1000 primary schools at the rate of Rs. 300/- pre-primary school for arranging the sports and recreational meterial. Instructions have been issued to all District Education Officers for purchasing Tat and furniture from school health fund. Once in a month a meeting of primary school teachers is held in Shala Sangams. The teachers discuss teaching problems in these shala sangam meetings. A monthly magzine named "Primary Education" is published by the State Institute of Education. Through this magazine an extentive programme of correspondence is run for in-service training and vocational development for primary school teachers. The Edu cation Department has given instructions that when there is a large number of students in a class, the section should be made in such a way that intelligent and dull students are alloted separate sections While assessing the performance of the teachers on the basis of results, the category of students is kept in mind. Therein is an arrangement for mid day meals with the help of CARE in the primary Schools of rural areas in 11 Education Blocks. In Haryana Special coaching is given to the Harijan students of 9th, 10th and 11th classes in the subject of Mathematics, English and Science for three months every year A technical education cell has been set up with a view to make qualitative improvement in education to lesson the stagnation at school level, to make the primary education impressive and intresting, to give new directions to teachers in the method of teaching and to give vocational education

training. "Work experience" which is now called as social useful product has been introduced in all the schools of the State Under this programme, children are taught to make candles etc.

In-service training is imparted to the teachers to know about day-to-day improvement in the field of education In-service training was imparted to 2500 JBT teachers, 900 heads of High/Higher Secondary Schools, 50 education Officers and 118 Block Education Officer's Besides, about 100 PTI's were imparted 15 days training by National Council of Educational Research and Training Institute, Training classes in B.Ed. were started in 2 institutions, O.T. Sanskrit in three institutions O,T. Hindi in four institutions and O T Punjabi in two institutions.

During the period under report, a sum of Rupees 20.50 lakhs was sanctioned for strengthening the book banks to provide the text books to the children of Scheduled Castes and Weaker sections. A sum of Rs. 66.96 lakhs was sanctioned for the repair of School Building, additional rooms in the Schools and for constructing new school buildings in the State in the year 1982-83.

3. **Adult Education and Non-formal Education**

(*A*) *Adult Education*

During the period under report, 3762 adult education centres were functioning out of which 1653 centres were for men and 2109 for women. The number of beneficiaries was 115184 out of which 51615 were men and 63569 were women. The number of Scheduled Caste beneficiaries was 29593 out of which 13079 were men and 16515 were women. During the year 1982-83, a sum of Rs. 80.70 lakhs was spent on adult education programme out of which Rs. 52.71 lakhs was spent by central government and and Rs. 27.99 lakh by the State Government.

(*B*) *Non-Formal Education*

Non-formal education programme was started for such children who do not go to school or drop their study in the midway. In the year 1982-83, the number of non formal education centres was 3496 out of which 3476 were for primary standard and 20 for middle standard. The number of beneficiaries in these centres was 1,02,962 out of which 1,02,569 were at Primary stage and 393

were at middle stage. The number of Scheduled Caste students was 24,899 out of which 24,828 were at Primary stage and 71 were at middle stage. Rs. 47 88 lakh were spent on non-formal education in 1982-83.

4. Other Programmes

Red Cross Organisation is playing an important role in helping the patients, handicapped, injured and the poor. Monetary help is given to needy students from red cross fund of educational institutions for purchasing of books, uniforms and medical treatment.

Bharat Scouts and guides movement has been launched in the educational institutions of the State for the purpose of in culcating the spirit of brotherhood, feeling of leaderships and feeling for serving the humanity. The State Government provided Rs. 2.20 lakhs as a grant of this organisation in the year 1982-83. In 1982-83 this organisation orgnised 10 camps in which 1694 members participated. National jumbory was held in Bodh Gaya (Bihar) from 27-12-82 to 31-12-82 and 650 scouts participated in it.

There is a language cell in Education Department This cell translates the material from English to Hindi received from various Departments/Boards/Corporations etc. 2530 standard pages were translated from English to Hindi in the year 1982-83. A population education cell has been set up in Education Department to control the population through Education.

There is a teachers welfare fund in the State for helping the teachers and their dependents in emergency. An amount of Rs 4.72 lakh was spent out of this fund.

The State Government has also set up a "Sahitya Academy". This academy raises the standard of literature, encourage and co-ordinates literary activities of all the languages in the State. It promotes the research in Haryana Literature and cultural traditions It sets the guidelines and policy for the preparation of Hindi books of University level Books worth Rs. 2.55 lakhs were sold by this academy in 1982-83.

During the period under report Sh. Jagdish Nehra was Education Minister of the State Smt. Kiran Aggarwal worked on the post of Education Commissioner and Secretary Sh S. P. Bhatia, I.A.S. worked as Joint Secretary, Sh. K.C. Sharma, I.A.S. worked on the post of Director of School Education.

विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा की वर्ष 1982-83 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

वर्ष 1982-83 में विद्यालय शिक्षा विभाग ने पिछले वर्षों की भांति राज्य में विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य रूप से विकास किया। शिक्षा के विकास में राजकीय शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त अराजकीय विद्यालयों ने भी आवश्यक योगदान दिया।

शिक्षा विभाग की गतिविधियों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

1. विद्यालय शिक्षा में विकास।

2. विद्यालय शिक्षा के स्तर में सुधार।

3. प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा।

4. अन्य कार्यक्रम।

1. विद्यालय शिक्षा में विकास

रिपोर्टाधीन अवधि में हरियाणा में विद्यालयों की संख्या 7606 थी जिन में से 27 पूर्व प्राथमिक, 4833 प्राथमिक, 1044 माध्यमिक तथा 1702 उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे। रिपोर्टाधीन अवधि में 17 शाखा प्राथमिक स्कूलों का स्तर बढ़ा कर पूर्ण प्राथमिक स्कूल किया गया, 200 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर माध्यमिक विद्यालय किया गया। 100 माध्यमिक स्कूलों का स्तर बढ़ा कर उच्च किया गया तथा 5 अराजकीय विद्यालयों को राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया।

रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2125300 थी जिस में से पूर्व प्राथमिक पाठशालाओं, बाल वाडियों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1191, प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 609671, माध्यमिक पाठशालाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1178037 थी। अनसूचित जातियों के छात्रों की संख्या 356013 थी जिसमें से 322 पूर्व प्राथमिक पाठशालाओं/बाल वाडियों में, 137467 प्राथमिक स्कूलों में, 5.704 माध्यमिक स्कूलों में तथा 161520 उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में थे।

विभिन्न आयु वर्गों के स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत, 6-11 आयु के 105.42 प्रतिशत लड़के तथा 64.65 प्रतिशत लड़कियां, 11-14 आयु के 72.88 प्रतिशत लड़के तथा 30.02 प्रतिशत लड़कियां और 14-17 आयु के 31.00 प्रतिशत लड़के तथा 11.20 प्रतिशत लड़कियां थीं। अनुसूचित जातियों के विभिन्न आयु के स्कूलों में आने वाले 6-11 आयु के 111.07 प्रतिशत लड़के तथा 62.01 प्रतिशत लड़कियां, 11-14 आयु के 53.93 प्रतिशत लड़के तथा 12.07 प्रतिशत लड़कियां तथा 14-17 आयु वर्ग में 20.29 प्रतिशत लड़के तथा 2.64 प्रतिशत लड़कियां थीं।

रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य के विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 59651 थी जिन में से पूर्व प्राथमिक पाठशालाओं/बालवाडियों में 34, प्राथमिक पाठशालाओं में 14979, माध्यमिक पाठशालाओं में 9389 तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं में 36249 अध्यापक थे।

रिपोर्टाधीन अवधि में विद्यालय शिक्षा पर व्यय 7760.99 लाख रुपये था जिसमें से योजनेतर व्यय 6944.89 लाख रुपये था तथा योजना व्यय 816.10 लाख रुपये था।

वर्ष 1982-83 में अराजकीय विद्यालयों को 60.77 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। हरियाणा में अराजकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उनके घाटे की 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है।

हरियाणा में पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हरिजन जाति/कमजोर वर्ग के बच्चों को

लेखन सामग्री आदि के क्रय हेतु पांच रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है। वर्ष 1982-83 में इसके लिए 5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1982-83 में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली हरिजन छात्राओं को मुफ्त वर्दियां प्रदान करने के लिए 17.52 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 40,000 हरिजन छात्राओं को 10/- रुपये प्रति छात्र प्रति मास के हिसाब से 48 लाख रुपये की उपस्थिति छात्रवृत्ति दी गई।

हरियाणा में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों से लड़कों की अपेक्षा ट्यूशन फीस कम ली जाती है। अराजकीय विद्यालयों में भी छठी से ग्यारवीं कक्षा तक पढ़ने वाली कन्याओं की फीस की दर लड़कों की अपेक्षा कम रखी गई है।

रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य सरकार की ओर से 9078 योग्यता छात्रवृत्तियां दी गई जिन पर 11.62 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले 502 हरियाणवी छात्रों को छात्रवृत्तियां एवं कपड़ा भत्ता के रूप में 28.23 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। तेलगू भाषा पढ़ने वाले छात्रों को 10/- रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 1982-83 में इसके लिए 37740 रुपये की व्यवस्था की गई। अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृति एवं अन्य वित्तीय सहायता के लिए 75.43 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। नौवीं, दसवीं तथा ग्यारवीं कक्षाओं की हरिजन छात्राओं को योग्यता के आधार पर 60 छात्रवृत्तियां प्रत्येक कक्षा में क्रमशः 40 रुपये, 50 रुपये तथा 60 रुपये प्रतिमास की दर से दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राज्य की ओर से 5 छात्रवृत्तियां प्रति विकास खण्ड की दर से दी जाती है। वर्ष 1982-83 में इस परियोजना के लिए 2.73 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। ऐसे छात्र जो मिडल उच्च विद्यालय की योग्यता छात्रवृति सूचि में आ जाते है, परन्तु उनके माता-पिता (अभिभावकों) की वार्षिक आय 10,000/- रुपये से अधिक होने के कारण व योग्यता छात्रवृति के पात्र नहीं बनते, उनको 50/- रुपये की नकद प्राईज तथा मैरिट सर्टीफिकेट दिया जाता है।

2 विद्यालय शिक्षा के स्तर में सुधार

रिपोर्टाधीन अवधि में 1,000 प्राथमिक स्कूलों को 300/- रुपये प्रति प्राथमिक स्कूल की दर से स्कूलों में खेल-कूद तथा मनोरंजन सामग्री जुटाने के लिए 3.00 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में हैल्थ फण्ड से टाट और फर्नीचर इत्यादि खरीदने हेतु हिदायतें जारी की हुई हैं। मास में एक बार प्राथमिक अध्यापकों की शाला संगमों में बैठक होती है। इन बैठकों में अध्यापक अध्यापन सम्बन्धी समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं। राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा प्राथमिक अध्यापक नामक एक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका के माध्यम से प्राथमिक अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक विकास के लिए पत्राचार कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाता है। राज्य शिक्षा विभाग ने यह अनुमति दे रखी है कि जिस कक्षा में छात्र अधिक हो तो उस कक्षा के सैक्शन इस तरह बना लें कि मन्द बुद्धि के बच्चे एक जगह आ जाये तथा तीव्र बुद्धि के बच्चे दूसरे सैक्शन में आ जाये। जिस शिक्षक के पास मन्द बुद्धि के बच्चे हों उसके परिणाम को देखते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि वह कमजोर सैक्शन पढ़ा रहा है। सी.ए.आर.ई. की सहायता से हरियाणा के 117 शिक्षा खण्डों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था है। नौवीं, दसवीं तथा ग्यारवीं कक्षाओं में पढ़ रहे हरिजन जाति के बच्चों को गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषयों में प्रति वर्ष तीन मास के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने, विद्यालयों के स्तर पर गतिरोध को कम करने, प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्रभावशाली तथा रोचक बनाने, अध्यापकों की शिक्षण विधियों को नई दिशा देने तथा आवश्यक शिक्षक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से राज्य में शैक्षिक तकनीकी अनुभाग की स्थापना की हुई है। राज्य के सभी स्कूलों में कार्य अनुभव जिसे अब समाज उपयोगी उत्पादक कार्य कहा जाता है, सभी स्कूलों में चालू है। इसके अन्तर्गत बच्चों से मोमबत्ती आदि बनवाने का कार्य करवाया जाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन होने वाले सुधारों के ज्ञान के लिए अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 1982-83 में 2500 जे०बी०टी० अध्यापकों को 900 उच्च/उ०मा० विद्यालयों के मुखियों, 50 शिक्षा अधिकारियों तथा 119 खण्ड शिक्षा अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। इस के अतिरिक्त

राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद् दिल्ली द्वारा लगभग 100 पी.टी.आई. को 15 दिन का परिक्षण दिया। दो संस्थाओं से डी0 एड0, तीन संस्थाओं मे संस्कृत ओ0टी0, चार संस्थाओं में हिन्दी ओ0 टी0 तथा दो संस्थाओं में पंजाबी ओ0 टी0 कक्षाएं आरम्भ की गई।

रिपार्टाधीन अवधि में अनुसूचित जातियों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करने हेतु कुछ बैंकों को मुद्रक करने के लिए 20.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। वर्ष 1982-83 में राज्य में स्कूल भवनों की मुरम्मत स्कूलों में अतिरिक्त कमरों तथा नये स्कूल भवन निर्माण के लिए 66.96 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

3. प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा

(क) प्रौढ़ शिक्षा

रिपोर्टाधीन अवधि में कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 3762 थी जिनमें से 1653 पुरुषों के तथा 2109 महिलाओं के केन्द्र थे। इन केंद्रों में लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या 115184 थी जिसमें से 518105 पुरुषों तथा 63369 महिलाएं थीं। अनुसूचित जाति के लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या 29593 थी। जिसमें से 13079 पुरुष तथा 16514 महिलायें थीं। वर्ष 1982-83 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर 80.70 लाख रुपये खर्च किये गये। जिसमें से 52.71 लाख रुपये केन्द्र सरकार ने तथा 27.99 लाख रुपये राज्य सरकार ने व्यय किये।

(ख) अनौपचारिक शिक्षा

अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम उन बच्चों के लिए आरम्भ किया गया है जो स्कूल पढ़ने नहीं जाते या बीच में ही पढ़ना छोड़ देते हैं। 1982-83 में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 3496 थी जिनमें से 3476 प्राथमिक स्तर के तथा 20 माध्यमिक स्तर के थे। इससे लाभान्वित छात्रों की संख्या 102962 थी जिसमें से 102569 प्राथमिक स्तर तथा 393 माध्यमिक स्तर

के छात्र थे। अनुसूचित जातियों के छात्रों की कुल संख्या 24899 थी जिसमें से 24828 प्राथमिक स्तर के तथा 71 माध्यमिक स्तर के छात्र थे। वर्ष 1982-83 में अनौपचारिक शिक्षा पर 47.88 लाख रुपये व्यय किये गये ।

4. अन्य कार्यक्रम

रेडक्रास संस्था समाज में रोगियों, अंगहीनों, घायलों और निर्धनों की सहायता में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। शिक्षा संस्थाओं के रैडक्रास फण्ड से आवश्यकता ग्रस्त बच्चों को पुस्तकें तथा वर्दियां खरीदने और चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता की जाती है।

राज्य की शिक्षा संस्थाओं में भारत स्काउटस एवं गाईडस आन्दोलन छात्रों में मातृ प्रेम तथा नेतृत्व की भावना और जनजाति की सेवा करने के भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलाया जाता है। वर्ष 1982-83 में राज्य सरकार द्वारा इस संस्था को 2.20 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिये गये । वर्ष 1982-83 में भारत स्काउटस एवं गाईडस द्वारा 19 कैम्प लगाये गये जिनमें 1694 सदस्यों ने भाग लिया। राष्ट्रीय जम्बोरी का बोद्ध गया (बिहार) में 27-12-82 से 31-12-82 तक आयोजन किया गया । इसमें 650 स्काउटस ने भाग लिया।

शिक्षा विभाग में एक भाषा अनुभाग स्थापित है। यह अनुभाग हरियाणा राज्य के विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों आदि के प्राप्त सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करता है। वर्ष 1982-83 में 1530 मानक पृष्ठों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किया गया।

जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए शिक्षा विभाग में जनसंख्या शिक्षा अनुभाग खोला गया है । यह शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या की वृद्धि को हतोत्साहित करता है।

राज्य के विपदा ग्रस्त अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को सहायता देने के लिए राज्य में अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना की हुई है। इस फण्ड में से 4.7? लाख रुपये की राशि व्यय की गई ।

राज्य सरकार द्वारा एक हरियाणा साहित्य अकादमी का भी गठन किया हुआ है। यह संस्था राज्य में साहित्यक स्तर की उन्नति, सभी भाषाओं की साहित्यक गतिविधियों को प्रोत्साहित एवं समन्वित करती है। यह हरियाणा की साहित्यक और सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुसंधान में बढ़ावा देती है। हिन्दी भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार कराने के लिए मार्गदर्शन और नीति निर्धारण करती है। वर्ष 1982-83 में इस अकादमी द्वारा 2.55 लाख रुपये की मूल्य की पुस्तकों की बिक्री की गई।

रिपोर्टाधीन अवधि में श्री जगदीश नेहरा, राज्य शिक्षा मंत्री रहे। शिक्षा आयुक्त एवं सचिव के पद पर श्रीमति किरण अग्रवाल, आई0 ए0 एस0 रहीं।

"NATIONAL INTEGRATION

If education has to become a powerful instruments of social, economic and cultural change then it must be developed so as to increase productivity and to achieve social and national integration. Comprehensive measures have been taken by the educationists to achieve the above mentioned and charished goals.

State council of Educational Research and Training Haryana at Gurgaon, keeping in view National integration, evaluated some books of History and language.

Telgu language is taught in Haryana as third language from seventh class. A student who reads the Telgu is awarded a scholarship of Rs. 10/- per month. A sum of Rs. 37740/- was arranged for this purpose during the year 1982-83.

The movement of Bharat Scouts and Guide is running in the institutions of the State for in culcating the feeling of brotherhood and leadership and the feeling of serving the humanity. The movement is running under the protection of Haryana Bharat Scouts and Guides Association. The State Government provided Rs. 2.20 lac as grant to this institution in 1982-83. Haryana Scouts and Guides Association organised 14 camps in which 1231 scouts participated. Various types of Training camps of scouting were organised at district level. These camps were organised at Kurukshetra, Sonipat, Sirsa, Jind, Bhiwani and Ambala. National Jumbory was held at Bodh Gaya (Bihar) from 27-12-82 to 31-12-82 in which 650 Scouts participated. Five guide camps were held at State level in which 463 guides participated. A girl guides rally was organised at State level in which 100 girls participated.

— — —

"राष्ट्रीय एकता"

शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन का माध्यम बनाने हेतु इस तरह विकसित करना पड़ेगा कि उत्पादकता में वृद्धि हो तथा समाज और देश में एकता हो। शिक्षा शास्त्रियों द्वारा उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विस्तृत कदम उठाए गए हैं।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हरियाणा, गुड़गावां ने भाषा तथा इतिहास के विषयों की कुछ पुस्तकों का राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से मूल्यांकन किया है।

हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है। जो छात्र तेलगू भाषा पढ़ता है उसे 10/- रु० प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 1982-83 में इस उद्देश्य के लिए 37740/- रुपए की व्यवस्था की गई।

राज्य की शिक्षा संस्थाओं में भारत स्काउट्स एवं गाईड्ज आन्दोलन छात्रों में मातृ प्रेम तथा नेतृत्व की भावना और जनजाति की सेवा करने के भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलाया जाता है। यह आन्दोलन हरियाणा भारत स्काउट्स तथा गाईड्ज एसोसिएशन के संरक्षण में चल रहा है। वर्ष 1982-83 में राज्य सरकार द्वारा इस संस्था को 2.20 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए गए। हरियाणा स्काउट्स तथा गाईड्ज एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तर पर स्काउट्स के 14 शिविर लगाए गए जिनमें 1231 स्काउट्स ने भाग लिया। जिला स्तर पर स्काउट्स के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रैनिंग कैम्पों का आयोजन किया गया। ये कैम्प कुरुक्षेत्र, सोनीपत, सिरसा, जीन्द भिवानी तथा अम्बाला में लगाए गए। राष्ट्रीय जुम्बोरी का बोद्ध गया (बिहार) में 27.12.82 से 31.12.82 तक आयोजन किया गया। इसमें 350 स्काउट्स ने भाग लिया। राज्य स्तर पर गाईड्ज के 5 कैम्प लगाए गए जिनमें 163 गाईड्ज ने भाग लिया। राज्य स्तर पर गर्ल्ज गाईड्ज रैली का आयोजन किया गया जिसमें 100 लड़कियों ने भाग लिया।

अध्याय पहला

शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन

1.1 वर्ष 1982-83 में श्री जगदीश नेहरा, राज्य शिक्षा मन्त्री के पद पर रहे।

(क) सचिवालय स्तर पर

रिपोर्टाधीन वर्ष में शिक्षा आयुक्त एवं सचिव के पद पर श्रीमती किरण अग्रवाल रही। संयुक्त सचिव के पद पर श्री एस. पी. भाटिया ने कार्य किया। ये दोनों अधिकारी आई ए एस कैडर के हैं। अवर सचिव के पद पर श्री के. जी. वालिया ने कार्य किया।

(ख) निदेशालय स्तर

पिछले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष विकास हुआ है। इस कारण प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए निदेशालय में स्कूल तथा कालिज शिक्षा के कार्य को अलग-अलग किया हुआ है। वर्ष 1982-83 में निदेशक, उच्चतर शिक्षा के पद पर श्री एल. एम. जैन, आई. ए. एस. ने कार्य किया तथा निदेशक विद्यालय शिक्षा के पद पर श्री के. सी. शर्मा, आए. ए. एस ने कार्य किया।

निदेशालय स्तर पर निम्न पदों पर अन्य नियुक्त अधिकारियों ने कार्य सुचारू रूप से चलाने में सहयोग दिया है:—

पदों के नाम	अधिकारियों की संख्या
1	2
निदेशक, एस. आर. सी.	1
संयुक्त निदेशक	3
उप निदेशक	6

1	2
अध्यक्ष, अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा	1
प्रशासन अधिकारी	1
सहायक निदेशक	12
अनुसंधान अधिकारी	4
लेखा अधिकारी	2
रजिस्ट्रार शिक्षा	1
बजट अधिकारी	1
युवक एवं खेल अधिकारी	1
तकनीकी सहायक	1

1.2 जिला प्रशासन

राज्य के प्रत्येक जिले में स्कूल शिक्षा के विकास, प्रशासन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारी पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्यरूप देते हैं। जिले में शिक्षा विकास कार्य को भली भांति चलाने के लिए सभी उप मण्डलों में उप मण्डल शिक्षा अधिकारी हैं। उप मण्डल शिक्षा अधिकारी अपने उप मण्डल में शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हैं।

जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए एक-एक उप जिला शिक्षा अधिकारी, एक-एक विज्ञान परामर्शदाता तथा एक-एक सहायक शिक्षा अधिकारी (खेल कूद) भी नियुक्त हैं।

इसी तरह राज्य के प्रत्येक जिले में प्रौढ़ शिक्षा के विकास, प्रशासन और नियंत्रण के लिए जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी नियुक्त हैं। परियोजना अधिकारी एवं सहायक परियोजना अधिकारी इस कार्य में उनकी सहायता करते हैं।

1.3 खण्ड स्तर अधिकारी

राज्य में सभी प्राथमिक विद्यालयों को निरीक्षण तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए 119 शिक्षा खण्डों में बांटा गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने खण्ड में स्थित प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयो को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदारी हैं ।

1.4 राजकीय विद्यालय

सभी राजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबन्ध मुख्याध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम से चलाया जाता है। सभी मुख्याध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं ।

1.5 अराजकीय विद्यालय

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्षिक अनुदान देता है। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी ही करते हैं।

1.6 शिक्षा पर व्यय

शिक्षा विभाग का वर्ष 1982-83 का बजट (संशोधित) अनुमान अनुसार इस प्रकार था :—

(क) प्रत्यक्ष व्यय

मद	योजनेत्तर	योजना	कुल (राशि लाख रु० में)
माध्यमिक शिक्षा	3392.83	393.89	3786.72
प्राथमिक शिक्षा	3156.72	406.33	3563.05
विशेष शिक्षा (स्पेशल)	28.85	—	28.85
विविध	114.55	3.77	118.32
योग	6692.95	803.99	7496.94

1	2	3	4
(ख) परोक्ष व्यय			
1. निर्देशन	67.70	3.76	71.46
2. इन्सपैक्शन	184.24	8.35	192.59
जोड़	251.94	12.11	264.05
जोड़ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष	6944.89	816.10	7760.99

अध्याय दूसरा

प्राथमिक शिक्षा

2.1 प्राथमिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है। अतः इसे देश के प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध कराने के लिये इसका विस्तार तथा विकास अत्यावश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये हरियाणा राज्य में इसके विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस समय हरियाणा राज्य में प्राथमिक शिक्षा सुविधा, राज्य की शिक्षा नीति अनुसार 6–11 आयु वर्ग के बच्चों के लिये गमन योग्य दूरी पर उपलब्ध है।

2.2 हरियाणा में वर्ष 1981–82, 1982-83 में पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां तथा प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	1981–82		1982–83	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
पूर्व प्राथमिक पाठशालाएं/ बालवाड़ियां	27	—	27	—
प्राथमिक पाठशालाएं	4706	234	4617	246

वर्ष 1982 में 17 शाखा प्राथमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर पूर्ण प्राथमिक स्कूल बनाया। वर्ष 1981–82 में 4940 पाठशालाएं थीं जो वर्ष 1982-83 में बढ़कर 4833 हो गई। घटने का कारण यह है कि 1982-83 में काफी स्कूलों का स्तर बढ़ाकर माध्यमिक कर दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या 5384 थी तथा अब 4833 है। इस कमी का कारण यह है कि पांचवी पंचवर्षीय

योजना के बाद काफी संख्या में प्राथमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर माध्यमिक कर दिया गया।

2.3 छात्र संख्या

(क) कुल छात्र संख्या

	1981-82		1982-83	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
स्कूल अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	690	545	726	465
प्राथमिक पाठशालाएं	387468	221090	375510	234161
(2) स्तर अनुसार				
पूर्व प्राथमिक बालवाड़ियां	1468	1384	2728	1871
प्राथमिक स्तर (पहली से 5वीं)	852035	454940	886558	508934

(ख) अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या

	1981-82		1982-83	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
(1) स्कूल अनुसार				
पूर्व प्राथमिक पाठशालाएं/ बालवाड़ियां	211	157	189	133
प्राथमिक पाठशालाएं	81570	40646	84190	53277
(2) स्तर अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	262	190	243	102
प्राथमिक स्तर (पहली से पांचवीं)	161483	69648	177453	92748

(ग) 6-11 आयु वर्ग के बच्चों में से स्कूल जाने वाले छात्रों की प्रतिशत निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कुल छात्रों की प्रतिशत		अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशत	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
1981–82	102.05	57.40	101.75	46.69
1982–83	105.42	61.65	111.07	62.01

पांचवी पंच वर्षीय योजना के अन्त में 6–11 आयु वर्ग के स्कूल में आने वाले छात्रों की प्रतिशत 92.3 लड़के तथा 49.5 लड़कियां थी और अब यह प्रतिशत 105.42 लड़के तथा 64.65 लड़कियां हो गई है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशत पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 78.93 लड़के तथा 26.52 लड़कियां थीं। जब कि अब यह प्रतिशत 111.07 लड़के तथा 62.01 लड़कियां है।

2.4 अध्यापकों की संख्या

	अध्यापकों की कुल संख्या			
	1981–82		1982–83	
	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	1	33	4	30
प्राथमिक स्कूल	10093	4471	9595	4384
(क) स्तर अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	10	62	4	71
प्राथमिक स्तर	19835	10991	19855	11301

(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या

(1) स्कूल अनुसार	1981–82		1982–83	
	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	—	—	—	—
प्राथमिक स्कूल	728	69	677	66
2 स्तर अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	—	—	—	—
प्राथमिक स्तर	1060	98	1015	103

2.5 बालवाड़ियों की संख्या

हरियाणा में पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियों की संख्या 27 है। इनमें से 7 पूर्व प्राथमिक विद्यालय है। इसके अतिरिक्त राज्य में 20 बालवाड़ियां चल रही हैं जो समाज के पिछड़े एवं औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के 3 से 6 वर्ष के बच्चों की देखरेख एवं उनके लिए शिक्षा सुविधायें उपलब्ध करती है। पांचवी पंच वर्षीय योजना के अन्त में केवल 7 पूर्व प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध थे।

2.6 इस समय हरियाणा में सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से आठवीं तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। 6 से 11 वर्ष तक की आयु के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल में लाने के लिए प्रतिवर्ष अप्रैल मास में छात्र संख्या अभियान चलाया जाता है। वर्ष 1982–83 में इसके प्रचार/प्रसार पर 1.26 लाख रुपये खर्च किये गये। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हरिजन जाति/कमजोर वर्ग के बच्चों को लेखन सामग्री आदि के क्रय हेतु पांच रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है। वर्ष 1982-83 में इसके लिए 5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1982-83 में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने

वाली हरिजन छात्रों को मुफ्त वर्दियां प्रदान करने के लिए 17.52 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 40000 हरिजन छात्राओं को 10/रु0— प्रति छात्र प्रति मास के हिसाब से 48 लाख रुपये की उपस्थिति छात्रवृत्ति दी गई।

2.7 अन्य भौतिक सुविधाएं

वर्ष 1982-83 में राज्य के 1000 प्राथमिक स्कूलों में 300/रु रुपये प्रति प्राथमिक स्कूल की दर से 3.00 लाख रुपये की राशि खेल कूद तथा मनोरंजन की सामग्री जुटाने हेतु तथा इन प्राथमिक स्कूलों के खेलों के मैदानों में विकास के लिये प्रदान की गई।

सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों के हैल्थ फण्ड से टाट और फर्नीचर इत्यादि खरीदने हेतु हिदायतें जारी की हुई हैं।

2.8. शाला संगम

स्थापित किये गये शाला संगम केन्द्रों में आयोजित मासिक बैठकों में प्राथमिक अध्यापकों की व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम अपनाये जाते हैं। इन मासिक बैठकों में अध्यापक कक्षा सम्बन्धी अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं। इन बैठकों में खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप मण्डल शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी समय 2 पर भाग लेते हैं।

राज्य शिक्षा संस्थान के प्रकाशन विभाग द्वारा प्राथमिक अध्यापक ...मक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका के माध्यम से प्राथमिक अध्यापक के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक विकास के लिए पत्राचार कार्यक्रम व्यापक रूप में चलाया जाता है। यह पत्रिका राज्य के लगभग 30 हजार प्राथमिक अध्यापकों को निःशुल्क उपलब्ध की जाती है। प्राथमिक स्तर के अध्यापक प्रति मास संगम की बैठकों में इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर विचार विमर्श करते हैं, जिसमें बच्चों को रोचक तथा सुगम ढंग से शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त होता है।

2.9 कक्षा शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली मे सुधार

सामान्यता ऐसा होता है कि एक ही कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ाई मे तीव्र होते हैं तथा कुछ मन्द होते हैं अत विभाग ने यह अनुमति दी है कि यदि कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो तो कक्षा के अलग-2 सैक्शन बना लिये जायें तथा इन सैक्शनों को इस तरह से बनाया जाये कि तीव्र बुद्धि के बच्चे एक सैक्शन में तथा मन्द बुद्धि के बच्चे दूसरे सैक्शन में आ जायें और जिस शिक्षक के पास मन्द बुद्धि वाले बच्चे हों उनके परिणाम को देखते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि वह कमजोर सैक्शन पढ़ा रहा था।

पहली से चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह परीक्षा नीति अपनाई गई है कि पहली तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल न किया जाये तथा तीसरी तथा चौथी की कक्षाओं में परीक्षा के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जाये।

2.10 स्कूल केयर फीडिंग प्रोग्राम

मध्यान्ह भोजन का कार्यक्रम हरियाणा में केयर की सहायता से 113 शिक्षा खण्डों में चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राईमरी स्कूलों के छात्र/छात्राओं से मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था है। यह खाद्य सामग्री केयर की सहायता से मुफ्त प्राप्त होती है। प्रत्येक बच्चे को 80 ग्राम दलिया तथा 7 ग्राम सलाद आयल दिया जाता है।

घरौण्डा में स्थापित केन्द्रीय किचन द्वारा एक लाख बच्चों के लिए प्रतिदिन पंजीरी तैयार करके स्कूलों में बांटने के लिए भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1981-82 में दो नये गोदाम एक रिवाड़ी तथा दूसरा घरौण्डा में बनाया गया है।

वर्ष 1982-83 में इस प्रोग्राम पर 38.00 लाख रुपए खर्च किये गये जबकि वर्ष 1981-82 में 36.4 लाख रुपये खर्च हुये।

अध्याय तीसरा

माध्यमिक शिक्षा

3.1 आधुनिक युग में माध्यमिक शिक्षा का भी प्राथमिक शिक्षा से कम महत्व नहीं है। हरियाणा में माध्यमिक शिक्षा के विकास एवं विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

3.2 रिपोर्टाधीन अवधि में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	1981–82		1982–83	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
माध्यमिक पाठशालाएं	855	92	940	104
उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालाएं	1324	257	1422	280

वर्ष 1982–83 में 200 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर माध्यमिक किया गया तथा 100 माध्यमिक स्कूलों का स्तर बढ़ाकर उच्च किया गया। इसके अतिरिक्त एक अराजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा 4 अराजकीय उच्च विद्यालयों को भी राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया, 14 अराजकीय उच्च विद्यालयों को स्थाई मान्यता तथा एक अराजकीय उच्च विद्यालय को अस्थाई मान्यता प्रदान की गई। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में माध्यमिक पाठशालाएं 801 तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालाएं 1201 थीं तथा अब माध्यमिक पाठशालाओं की संख्या 1044 तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं की संख्या 1702 है।

3.3 छात्र संख्या

	1981–82		1982–83	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
(क) कुल संख्या				
(1) स्कूल अनुसार				
माध्यमिक स्कूल	212297	99075	221131	115270
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	772423	312910	826199	351838
(2) स्तर अनुसार				
माध्यमिक स्तर (6–8वीं)	369503	129266	375248	140181
उच्च/उच्चतर माध्यमिक (नौवीं से दसवीं)	149608	48028	158817	50744

(ख) अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या

(1) स्कूल अनुसार

	1981–82		1982–83	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
माध्यमिक स्कूल	34951	12586	39250	17454
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	110792	27166	126567	34953

(2) स्तर अनुसार

माध्यमिक स्तर (6–8वीं)	47934	9073	52757	10707
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल (9–11वीं)	17754	1644	19742	2260

विभिन्न आयु वर्ग में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या निम्न है :—

कुल छात्र संख्या प्रतिशत

	1981–82		1982–83	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
(1) आयु वर्ग				
11–14	70.71	28.06	72.88	30.32
14–17	28.14	9.56	31.00	11.20
(2) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या				
11–14	47.87	10.11	53.93	12.07
14–17	18.31	1.94	20.29	2.64

पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त मे 11-14 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले छात्रों की प्रतिशत 63.1 लड़के तथा 33.8 लड़कियां थी परन्तु अब 72.88 लड़के तथा 30.02 लड़कियां हैं। इसी प्रकार 14–17 आयु वर्ग के छात्रों की प्रतिशत पांचवीं योजना के अन्त में 21.6 लड़के तथा 7.9 लड़कियां थी और अब 31.00 लड़के तथा 11.20 लड़कियां है। अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशत संख्या पांचवीं योजना के अन्त तक मे 38.18 लड़के तथा 5.32 लड़कियां 11–14 आयु वर्ग की और 10.56 लड़के और 1.01 लड़कियां

14–17 आयु वर्ग में थी। परन्तु अनुसूचित जातियों की यह प्रतिशत अब 11–14 आयु वर्ग में 53.93 लड़के और 12.07 लड़कियां तथा 14–17 आयु वर्ग में 20.29 लड़के और 2.64 लड़कियां हो गई है।

3.4 अध्यापकों की संख्या

(क) अध्यापकों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :—

(1) स्कूल अनुसार	1981-82		1982-83	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
माध्यमिक स्कूल	5747	2992	6125	3264
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	23863	10884	24265	11984
(2) स्तर अनुसार				
माध्यमिक स्तर	11075	4807	11656	5225
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	8237	2508	8474	3061

(1) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार है :—

(1) स्कूल अनुसार				
माध्यमिक स्कूल	339	57	343	48
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	696	78	714	[illegible]3
(2) स्तर अनुसार				
माध्यमिक स्तर	350	52	333	45
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	353	53	38[illegible]	38

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 9946 पुरुष तथा 3687 महिलाएं थी तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 7542 पुरुष तथा 2395 महिलाएं थी परन्तु अब अध्यापकों की संख्या माध्यमिक स्तर पर 11656 पुरुष तथा 5225 महिलाएं तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 8474 पुरुष तथा 3061 महिलाएं हैं ।

3.5 अध्यापक अमले की स्वीकृति

वर्ष 1982–83 में जिन स्कूलों का स्तर बढ़ाया गया उनके लिए निम्नलिखित अमला भी स्वीकृत किया गया ।

मुख्याध्यापक	100
मास्टर/मिस्ट्रैस	300
पी. टी. आई.	100
सी. एण्ड वी.	200
जे. बी. टी.	200
लिपिक वर्ग/चतुर्थ श्रेणी	100/400

3.6 दोहरी पारी प्रणाली

भिन्न-2 विद्यालयों के जिन भवनों में छात्र संख्या की वृद्धि के कारण बच्चों के बैठने के स्थान और कमरों की कमी हो जाती है, उन विद्यालयों में दोहरी पारी प्रणाली अपनाने की स्वीकृति देने में जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं सक्षम है ।

3.7 सह शिक्षा

ऐसे क्षेत्र तथा गांव जिन में लड़कियों के लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा

की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध की गई है।

3.8 तेलगु भाषा की शिक्षा

हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगु भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है। इस भाषा की शिक्षा की सुविधा राज्य के 52 विद्यालयों में उपलब्ध है। वर्ष 1982-83 में इस प्रयोजन हेतु 312 छात्रवृतियों के लिये 37440/-रुपये की व्यवस्था की गई है।

3.9 राज्य में 10+2 की नई शिक्षा प्रणाली लागू करने बारे समय-2 पर विचार विमर्श होता रहा है। इस वर्ष भी यह मामला सक्रियता से सरकार के विचाराधीन रहा। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षा को व्यवसायोनुभव बनाने के लिये राज्य के 24 स्कूलों में (2 स्कूल प्रति जिला) 10+2 नई शिक्षा प्रणाली लागू की जाये।

3.10 विशेष कोचिंग कक्षाएं

नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं में पढ़ रहे हरिजन जाति के बच्चों को गणित' अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में प्रति वर्ष तीन मास के लिये विशेष कोचिंग दी जाती है। ताकि अनुसूचित जाति के कमजोर बच्चे अन्य छात्रों को कम्पीट कर सकें। वर्ष 1982-83 में इस स्कीमाधीन 1 लाख 55 हजार रुपये की व्यवस्था रही है। अध्यापकों को पारिश्रमिक 150/- रुपये से 200/- रुपये तक मासिक दर से दिया जाता है। ये कक्षाएं आरम्भ करने के लिये प्रत्येक विषय में कम से कम 10 या इससे अधिक छात्र संख्या निर्धारित है।

3.11 परीक्षा परिणाम

आठवीं, दसवीं तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रों की परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की हुई है। वर्ष 1982-83 में आठवी कक्षा में 155432 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, जिनमें से

52 88 प्रतिशत पास घोषित हुए तथा 19908 विद्यार्थी प्राईवेट आधार पर परीक्षा में बैठे, जिनमें से 37.42 प्रतिशत विद्यार्थी पास घोषित हुये ।

दसवीं कक्षा की परीक्षा में 95756 विद्यार्थी नियमित तौर पर बैठे जिनमें से 69.97 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुये तथा 21423 विद्यार्थी प्राईवेट तौर पर परीक्षा में बैठे और 33.65 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुये । उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का परिणाम 39.55 प्रतिशत रहा ।

3.12 अराजकीय विद्यालयों को अनुदान

पूर्व वर्षों की भांति 1982-83 में भी अराजकीय विद्यालयों को निम्न लिखित अनुदान दिया गया :—

	1981-82 (लाख रुपयों में)	1982-83 (लाख रुपयों में)
1. प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय	24.08	26.48
2. उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	60.16	29.86
3. स्थानीय विकास कैंट बोर्ड अम्बाला	0.20	0.20
4 संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान	1.16	1.16
5 हरियाणा साकेत कौंसिल चण्डीमन्दिर	0.68	0.68
6. हरियाणा वैलफेयर सोसायटी फार डैफ एण्ड डम्ब, चण्डीगढ़, गुड़गावां केन्द्र के लिए	0 90	0.90
7. हरियाणा स्टेट कौंसिल फार चाइल्ड वैलफेयर, चण्डीगढ़	1.44	1.44

उपरोक्त अनुदान के अतिरिक्त 10 अराजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उपकरणों के खरीदने के लिये 500/- रुपये प्रति स्कूल की दर से 5000/- रुपये की राशि का उपकरण अनुदान भी दिया गया।

राज्य में अराजकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की घाटे की राशि की 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी गई।

अध्याय चौथा

प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा

4.1 हरियाणा राज्य में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम 2 अक्तूबर 1978 से बड़े पैमाने पर आरम्भ किया गया। इससे पहले भी प्रौढ़ शिक्षा एवं समाज शिक्षा का कार्यक्रम राज्य के कुछ जिलों में चलाया जा रहा था, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 98 थी। परन्तु रिपोर्टाधीन वर्ष में कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	पुरुष	महिलाएं	जोड़
1981-82	1547	1894	3441
1982-83	1653	2109	3762

पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या, 1685 थी परन्तु अब 3762 है।

4.2 साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों की संख्या

(क) रिपोर्टाधीन वर्ष में लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या

(क) रिपोर्टाधीन वर्ष में लाभान्वित प्रौढ़ों की कुल संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	पुरुष	महिलाएं	जोड़
1981-82	34934	41395	76329
1982-83	51615	63569	115184

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों तथा लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या

	1981-82		1982-83	
	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों की संख्या	33782	35075	50310	53881
2. अनुसूचित जातियों के लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या	9571	10825	13089	16514

पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त में अर्थात वर्ष 1978-79 में लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या 57637 थी परन्तु अब 115184 है।

4.3 वित्त व्यवस्था

वर्ष 1982-83 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए व्यय (प्रोविजन) निम्न प्रकार है :—

	1981-82	1982-83
1. केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम	43.49 लाख रुपये	52.71 लाख रुपये
2. राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम	24.68 ,,	27.99 ,,
जोड़	68.27 ,,	80.70 ,,

4.4 शिक्षार्थियों की परीक्षा

वर्ष 1982-83 में 115184 प्रौढ़ों को दाखिल किया गया, जिनकी पढ़ने लिखने, संख्यात्मक तथा कार्यात्मक में साधारण परीक्षा ली गई, जिनमें 68780 शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए ।

4.5 जिला शिक्षा बोर्ड

जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड बनाए गये हैं । इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को और सुदृढ़ बनाने तथा विकसित करने के लिए जिला स्तर पर जिला संशाधन केन्द्रों का गठन भी किया गया है ।

4.6 स्वैच्छिक संस्थाएं

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थाओं का भी अपना स्थान है । सरकारी कार्यक्रम के अतिरिक्त जनता कल्याण समिति रिवाड़ी (महेन्द्रगढ़)" 200 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चला रही है। इसके अतिरिक्त गुड़गावां, रोहतक, करनाल तथा भिवानी में नेहरू युवक केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक विश्व विद्यालय तथा एक महाविद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा के लिए अनुदान दिया गया ।

4.7 संसाधन केन्द्रों की स्थापना

प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित साहित्यक सामग्री तैयार करने व उपलब्ध करने के लिए निदेशालय स्तर पर राज्य संसाधन के केन्द्रों की स्थापना की हुई है । इसी तरह जिला स्तर पर भी संसोधन के केन्द्रों की स्थापना की हुई है ।

4.8 श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद

वर्ष 1981-82 में हरियाणा में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत

श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद की स्थापना की गई । इसका उद्देश्य औद्योगिक श्रमिकों को शिक्षा देना, औद्योगिक नगर में [illegible] कोई घरेलू धन्धा सीखने तथा उद्योगों के प्रबन्ध में भागीदार होने का ज्ञान देना है ।

4.9 अनौपचारिक शिक्षा

हरियाणा में अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम वर्ष 1974-75 में प्रयोगात्मक उद्देश्य से आरम्भ किया गया था । आरम्भ में 11–13 तथा 14–17 आयु वर्ग के उन बच्चों को 5वीं तथा 8वीं की परीक्षा के लिये तैयार करना था, जिन्होंने मध्य में ही पढ़ना छोड़ दिया था । वर्ष 1977–78 में कुछ अलग समय स्कूल भी आरम्भ किये गये । ताकि उनमें वे बच्चे पढ़ सकें जो स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते । जब राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को 2 अक्तूबर 1978 से आरम्भ किया गया तो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का भी पुनर्गठन किया गया तथा 2500 प्राथमिक स्तर के और 120 माध्यमिक स्तर के केन्द्र स्वीकृत किये गये । रिपोर्टाधीन अवधि में क्रियाशील केन्द्रों की संख्या भिन्न प्रकार की थी:—

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
	प्राथमिक	माध्यमिक	प्राथमिक	माध्यमिक
1981–82	2946	23	338	6
1982–83	3113	18	363	2

वर्ष 1982-83 में ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक स्तर पर केन्द्र कम होने का कारण यह है कि कुछ केन्द्र ठीक नहीं चल रहे थे । अतः उनका दर्जा माध्यमिक से घटाकर प्राथमिक कर दिया था । पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 2368 थी परन्तु अब यह संख्या 3496 है ।

4.10 रिपोर्टाधीन अवधि में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों से लाभान्वित छात्रों की संख्या निम्न प्रकार से रही

प्राथमिक स्तर	1981–82		1982–83	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
कुल छात्र संख्या	36515	40594	47552	55017
ग्रामीण क्षेत्र की संख्या	29774	33186	44126	47686
अनुसूचित जाति की छात्र संख्या	10232	13035	10559	14169
माध्यमिक स्तर				
कुल छात्र संख्या	289	170	237	156
ग्रामीण क्षेत्र की संख्या	280	87	235	130
अनुसूचित जाति की छात्र संख्या	55	21	36	35

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 49174 थी परन्तु अब 102569 है।

4.11 वित्त व्यवस्था

वर्ष 1982–83 में अनौपचारिक शिक्षा पर निम्न अनुसार व्यय प्रोविजनल किया गया :—

1.	योजनेत्तर	35.37 लाख रुपये
2.	योजना	12.51 ,,
3.	जोड़	47.88 ,,

4.12 छात्रों को प्रोत्साहन

रिपोर्टाधीन अवधि में सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखा सामग्री तथा कार्यानुभव के लिए सामग्री दी गई। इसके अतिरिक्त हरिजन छात्राओं को मुफ्त वर्दियां भी दी गई।

4.13 मूल्यांकन

अनौपचारिक शिक्षा में दो तरह के छात्र होते हैं। (1) वे बच्चे जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। (2) वे बच्चे जो स्कूल में जाते ही नहीं।

पहली प्रकार के बच्चों में कुछ बच्चे अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करके पुनः स्कूलों में दाखिल हो जाते हैं। कुछ पांचवीं कक्षा की परीक्षा में बैठते हैं तथा उनका मूल्यांकन उप मण्डल शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। दूसरी प्रकार के बच्चे 3/4 वर्षों की अवधि का पाठ्यक्रम पूरा करके पांचवीं कक्षा की परीक्षा में बैठते हैं। उन्हें उत्तीर्ण होने के लिए 25 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है। माध्यमिक केन्द्रों में स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा की माध्यमिक परीक्षा में बैठने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है।

4.14 प्रशासनिक व्यवस्था

मुख्यालय में अनौपचारिक शिक्षा के लिए एक पद अध्यक्ष अनौपचारिक शिक्षक का है। क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम की देखभाल जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी ही करते हैं।

4.15 अनौपचारिक शिक्षा के विषय में अनुभव

अनौपचारिक शिक्षा के विषय में सामान्यतः यह अनुभव किया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा केन्द्र बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं और इसे सारे राज्य में विस्तृत करने की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा को सर्वभौमिक बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनौपचारिक शिक्षा के लिए अतिरिक्त पर्यवेक्षक अमले की आवश्यकता है तथा अनौपचारिक शिक्षा में समन्वय की आवश्यकता है।

अध्याय पांचवां

महिला शिक्षा

5.1 आधुनिक युग में स्त्री शिक्षा के महत्व को देखते हुए हरियाणा राज्य में स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की गई है।

(क) पहली से आठवीं कक्षा तक सभी राजकीय विद्यालयों में लड़कियों को निशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों से लड़कों की अपेक्षा टयूशन फीस कम की जाती है। अराजकीय विद्यालयों में भी छठीं से ग्यारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाली कन्याओं की फीस की दर लड़कों की अपेक्षा कम रखी जाती है।

(ख) नौवीं से ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रही हरिजन जाति/कमजोर वर्ग की छात्राओं को लेखन सामग्री एवं पुस्तक आदि के क्रय के लिये 20 रुपये प्रति छात्रा प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है। इस कार्य के लिये वर्ष 1982-83 के दौरान 4 लाख रुपये की व्यवस्था रही है। इतनी ही राशि वर्ष 1981-82 में व्यय की गई।

(ग) प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 40000 हरिजन छात्राओं को 10/– रुपये प्रति छात्रा प्रति मास के हिसाब से 48 लाख रुपये की उपस्थिति छात्रवृति दी गई। इतनी ही राशि वर्ष 1981-82 में व्यय की गई।

(घ) प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली हरिजन छात्राओं को वर्दी मुफ्त दी जाती है। इस उद्देश्य के लिये 17.52 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। 7.87 लाख रुपये की राशि वर्ष 1981-82 में व्यय की गई।

(ङ) हरिजन कन्याओं को नौवीं, दसवी तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में क्रमशः 40, 50 व 60 रुपए की दर से योग्यता छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। ये छात्रवृत्तियां आठवीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली कन्याओं को दी जाती है और इस स्कीम के अधीन 180 हरिजन कन्याएं लाभान्वित होती हैं। इतनी ही छात्रवृत्ति 1981-82 में दी गई।

(च) विधवाओं/पतियों से अलग रहने वाली/विवाह विच्छेद स्त्रियों के लिए जे0 बी0 टी0/एल0 टी0 सी0/नर्सरी प्रशिक्षण कक्षाओं में कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। ऐसी महिलाओं को अधिकतम आयु में साधारण ढील दे दी जाती है। ये स्त्रियां 31 वर्ष की आयु तक प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं जबकि पुरुषों की अधिकतम आयु केवल 26 वर्ष है। उन मिलटरी पुरुषों की पत्नियों या उनके आश्रितों की जो अयोग्य हो गये हों या लड़ते-2 मारे गये हों, प्रवेश के लिए अधिकतम आयु की सीमा 31 वर्ष है।

(छ) यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक स्कूल में एक महिला अध्यापिका नियुक्त की जाये ताकि अधिक से अधिक छात्राएं स्कूलों की ओर आकर्षित हों। यदि प्रशिक्षित अध्यापिका उपलब्ध न हो तो अप्रशिक्षित अध्यापिका नियुक्त की जाये तथा वेतन योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाये। इस तरह की अध्यापिकाएं अस्थाई होंगी।

5.2 महिला शिक्षा संस्थाओं की संख्या ·

संस्था का प्रकार	1981-82	1982-83
प्राथमिक विद्यालय	234	216
माध्यमिक विद्यालय	93	104
उच्च विद्यालय	235	260
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	22	20

पिछले कुछ वर्षों से कन्याओं के स्कूलों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इस का कारण यह है कि जिन स्थानों पर कन्याओं के अलग स्कूल नहीं हैं वहां वे लड़कों के स्कूलों में ही शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। कन्याओं के लिए अलग प्राथमिक स्कूल निम्नलिखित शर्तों पर ही खोले जा सकते हैं :—

1. यदि स्थानीय ग्रामीण जनता की मांग हो।
2. यदि स्थानीय जनता स्कूल के भवन का प्रबन्ध कर दे।
3. यदि 30 या 40 कन्याएं विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए उपलब्ध हों।
4. यदि एक मील के क्षेत्र में कन्याओं के लिए कोई और विद्यालय न हो।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कन्याओं के लिए अलग प्राथमिक ब्रांच विद्यालय खोल सकते हैं। यदि उस गांव में लड़कियों की संख्या पर्याप्त हो और अतिरिक्त स्टाफ देने की आवश्यकता न हो।

5.3. विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या

वर्ष 1982-83 में राज्य में विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार रही है :—

शिक्षा का स्तर	1981-82		1992-83	
	कुल छात्राएं	अनु0 जाति की छात्राएं	कुल छात्राएं	अनु0 जाति की छात्राएं
प्राथमिक स्तर	454940	69648	508934	53277
माध्यमिक स्तर	129266	9073	140181	10707
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	18028	1641	50744	2260

अध्याय छठा

शिक्षा सुधार कार्यक्रम

6.1 शिक्षा में गुणात्मक सुधारों के लिए तथा शिक्षा के स्तर को समुन्नत करने के लिए विभाग द्वारा रिपोर्टाधीन अवधि में कई प्रोग्राम चलाये गये।

6.2 शैक्षित तकनिकी अनुभाग

शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने, विद्यालय स्तर पर गतिरोध को कम करने, प्राथमिक स्कूल शिक्षा को अधिक प्रभावशाली तथा रोचक बनाने, अध्यापकों की शिक्षण विधियों को नई दिशा देने तथा आवश्यक शिक्षा प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से वर्ष 1978–79 में राज्य में शैक्षिक तकनिकी अनुभाग की स्थापना की गई है।

यह एक केन्द्र सचालित स्कीम है जिस पर खर्च की जा रही धनराशि की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इस पर वर्ष 1982–83 में 1.53 लाख रुपये खर्च हुये।

6.3 कार्य अनुभव

कार्यानुभव शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। यह विषय राज्य के सभी राजकीय स्कूलों में पढ़ाया जाता है। कार्य अनुभव जिसे अब समाज उपयोगी उत्पादक का कार्य कहा जाता है, को नई शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस विषय को सभी माध्यमिक कक्षाओं के लिए अनिवार्य विषय बना दिया है तथा वर्ष 1982–83 में सभी उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को इस उद्देश्य हेतु 200/– रुपये प्रति प्राइमरी स्कूल की दर से 1000 प्राइमरी स्कूलों के लिये वर्ष 1982–83 में 2.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

6.4 शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध करना

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करने के लिये विशेष पग उठाये गये।

हरियाणा राज्य में अधिकतर स्कूलों के भवनों की स्थिति अच्छी नहीं है। अतः शिक्षा विभाग ने स्कूलों के भवनों के लिए एक विशाल कार्यक्रम आरम्भ किया है। शिक्षा विभाग द्वारा बनाये गये नये भवन निधि नियम (बिल्डिंग एण्ड रूल्ज) के अनुसार राजकीय स्कूलों में फण्ड के अन्तर्गत एकत्रित की गई राशि का 80 प्रतिशत विभाग के मुद्रा कोष (मनीपूल) में जमा करवाना पड़ता है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन स्कूलों में भवन पूरी तरह तैयार है उन्हें देखभाल के लिए लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया जाये।

रिपोर्टाधीन अवधि मे राजकीय स्कूल भवनों की विशेष मुरम्मत हेतू नान-प्लान कक्ष से 113 अनुभागों की प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई। इन पर कुल अनुमानित 36.63 लाख विभागीय बजट से तथा इतनी ही राशि स्कूल भवन निधि से स्वीकृत की गई।

ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूलों की देखभाल हेतु राज्य के 30 खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को 2.50 लाख रुपये की राशि 1235 प्राथमिक स्कूलों की मुरम्मत के लिये स्वीकृत की गई।

प्लान पक्ष से वर्ष 1981–82 में राजकीय उच्च विद्यालयों में 10 अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु 7.83 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई।

एस0 सी0 इ0 आर0 टी0 हरियाणा गुड़गावां के विज्ञान अनुभाग के निर्माण हेतू 20 लाख रुपये की अनुमान की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

स्कूलों में टाट, दरी, पटरी, बिजली के पंखे/फर्नीचर की कमी को पूरा करने के लिए स्कूल छात्र निधियों की बचत में से स्वीकृतियां जारी की गई।

अध्याय सातवां

छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

7.1 सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के भिन्न-2 स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के लिए राज्य सरकार की भिन्न-2 स्कीमों के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है । इनके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है । अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई राशि में से वजीफे एवं वित्तीय सहायता दी जाती है ।

7.2 स्कूलों में छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृत्ति योजना

(क) राज्य सरकार की ओर से पांचवी कक्षा स्तरीय योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के आधार पर माध्यमिक कक्षाओं (छठी से आठवी कक्षा तक) 10/- रु० प्रति क्लास की दर से वर्ष 1982-83 में 6042 योग्यता छात्रवृत्तियों के लिए 6.16 लाख रुपए की व्यवस्था की गई । वर्ष 1981-82 में 5542 छात्रवृत्तियों के लिए 6.62 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। माध्यमिक परीक्षा पर आधारित योग्यता छात्रवृत्ति 15/- मासिक प्रति छात्र की दर से वर्ष 1982-83 में 3036 छात्रवृत्तियां देने के लिए 5.46 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई । वर्ष 1981-82 में 3036 छात्रवृत्तियों के लिए 5.56 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी ।

7.3 सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को छात्रवृत्तियां एवं कपड़े

देश के विभिन्न सैनिक स्कूलों तथा पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए वर्ष 1982-83 में 50? हरियाणवी छात्रों को छात्रवृत्तियां दी

कपड़ा भत्ता के रूप में 18.23 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई । वर्ष 1981-82 में 511 हरियाणवी छात्रों पर 17.86 लाख रुपए की राशि व्यय की गई ।

7.4 तेलगू भाषा प्रोत्साहन हेतु छात्रवृतियां

हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगु भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है । जो छात्र तेलगू भाषा पढ़ता है उसे 10/- रुपए प्रति मास की दर से छात्रवृति दी जाती है । वर्ष 1981-82 में इस उद्देश्य के लिए 37740 रुपए की व्यवस्था की गई । इतनी ही राशि की व्यवस्था वर्ष 1981-82 में की गई।

7.5 राज्य हरिजन कल्याण योजना अधीन अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को सुविधाएं

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षिक, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता दी जाती है । ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सकते है । निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृतियों के अतिरिक्त परिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है । इस योजना के अधीन नौवीं, दसवी तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन विद्यार्थियों को 15 रुपए मासिक दर से स्टाईफण्ड प्रदान किए जाते हैं । इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में 75.43 लाख रुपए की व्यवस्था की गई । वर्ष 1982-83 में इस स्कीम के अधीन 73.39 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी ।

7.6 हरिजन छात्राओं के लिए योग्यता छात्रवृति

नौवीं, दसवीं तथा ग्याहरवी कक्षाओं की हरिजन छात्राओं के लिए 180 छात्रवृतियों की व्यवस्था है । प्रतिवर्ष 60 छात्रवृतियां प्रत्येक कक्षा में अर्थात नौवीं, दसवीं तथा ग्यारवीं में क्रमशः 40/- रुपए, 50/- रुपए तथा 60/-

रुपए प्रति मास की दर से दी जाती है। वर्ष 1981-82 में भी इतनी ही छात्रवृतियां दी गई।

7.7 ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राज्य की ओर से 5 छात्रवृतियां प्रति विकास खण्ड की दर से दी जाती है। स्कूलों में पढ़ने वाले इन छात्रों में से जो छात्र छात्रवास में रहते हैं उन्हें 100/ रुपए प्रतिमास डे-स्कालरज (9वीं तथा 10वी) 30 रुपए प्रतिमास तथा डे-स्कालर्ज (11वीं तथा 12वीं) 60 रुपए प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 1982-83 में इस परियोजना के लिए 2.73 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। इतनी ही राशि 1981-82 में खर्च की गई थी।

7.8 टोकन प्राईज तथा मैरिट सर्टीफिकेट

ऐसे छात्र जो मिडल/उच्च विद्यालय योग्यता छात्रवृत्ति सूचि में आते है। परन्तु उनके माता-पिता (अभिभावकों) की वार्षिक आय 10,000/- रुपए से अधिक होने के कारण वे योग्यता छात्रवृत्ति के पात्र नहीं बनते, 50 रुपए टोकन प्राईज तथा मैरिट सर्टिफिकेट दिया जाता है। मिडल कक्षाओं में 100 तथा उच्च कक्षाओं में 70 टोकन प्राईज रखे गए हैं। जिनके लिए कुल 8500/- रुपए की राशि की व्यवस्था की गई थी।

अध्याय आठवां

विविध

8.1 अध्यापक प्रशिक्षण

शिक्षा स्तर अध्यापकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर निर्भर करता है । शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन कई प्रकार के नए अनुसंधान हो रहे हैं तथा अध्यापकों का इससे भी भली भांति परिचित होना आवश्यक है । शिक्षकों को व्यावसायिक दक्षता प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है :- -

1. सेवाकाल से पूर्व प्रशिक्षण 2. सेवाकालीन प्रशिक्षण।

1. **सेवाकाल से पूर्व प्रशिक्षण**

वर्ष 1982-83 में सरकार/विभाग ने निम्न संस्थाओं में डिप्लोमा इन एजुकेशन तथा ओ0टी0 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया :---

	संस्था का नाम	**प्रशिक्षण कोर्स**
1.	राजकीय जे0बी0टी0 स्कूल, ओढा	डी0एड0
2	राजकीय जे0बी0टी0 स्कूल, फिरोजपुर नमक	डी0एड0
3	राव विरेन्द्र सिंह प्रशिक्षण महाविद्यालय रेवाड़ी	ओ0टी0 पंजाबी तथा संस्कृत
4	महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय डबवाली	ओ0टी0 हिन्दी
5.	रूरल शिक्षण महाविद्यालय कैथल	ओ0टी0 पंजाबी
6.	डी0ए0वी0 शिक्षा महाविद्यालय, करनाल	ओ0टी0 संस्कृत

	संस्था का नाम	प्रशिक्षण कोर्स
	गांधी आदर्श महाविद्यालय समालखा	ओ0टी0 हिन्दी
8.	जनता कालेज, कौल	ओ0टी0 हिन्दी
9.	डी0ए0वी0 कालेज, हसनगढ़	ओ0टी0 हिन्दी
10.	राजकीय शिक्षण विद्यालय, भिवानी	ओ0टी0 संस्कृत

2. **सेवाकालीन प्रशिक्षण**

शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन होने वाले सुधारों के ज्ञान के लिए अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण भी अति आवश्यक है। अत: वर्ष 1982-83 में विद्यालय के अध्यापकों तथा शिक्षा अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनमें 3500 जे0बी0टी0 अध्यापकों के लिए 16 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 900 उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के मुखियों तथा 50 शिक्षा अधिकारियों 118 खण्ड शिक्षा अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद् दिल्ली द्वारा लगभग 100 पी.टी.आई. को 15 दिन की अवधि का प्रशिक्षण दिया गया।

8.2 भाषा नीति तथा भाषाई अल्प संख्यक

हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है। यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। उच्च तथा उ0 मा0 स्तर पर भी हिन्दी शिक्षा का माध्यम है।

विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यह छठी कक्षा से आरम्भ की जाती है। तीसरी भाषा में पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के अतिरिक्त तेलगू की शिक्षा की सुविधा भी [illegible] विद्यालयों में उपलब्ध है। सातवीं और आठवीं श्रेणियों में पंजाबी, उर्दू, संस्कृत तथा तेलगू भाषाओं में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते हैं।

हरियाणा में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उन्हें अपनी भाषा के अध्ययन करने की भी विशेष सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी हों जो अल्प संख्या से सम्बन्ध रखते हों तो वे अपनी भाषा को राज्य भाषा के अतिरिक्त एक विशेष भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरकार उनको इस विषय में शिक्षा देने हेतु सुविधा प्रदान करती है। 19 सरकारी विद्यालयों में जिनमें हरियाणा बनने के समय शिक्षा का माध्यम पंजाबी था, पंजाबी माध्यम को आगे भी जारी रखने के लिए विशेष अनुमति दे रखी है।

भाषाई अल्प संख्यकों को विशेष सुविधा प्रदान करने तथा सरकार को इस सम्बन्ध में सलाह मशवरा देने हेतु एक उच्च स्तरीय अल्प संख्यक शिक्षा समिति का गठन भी किया हुआ है।

8.3 छात्रों को पाठ्य पुस्तकों/अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध करना

वर्ष 1982-83 में अनुसूचित जातियों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करने हेतु बुक बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए 20.50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन विद्यार्थियों को सस्ते मूल्य की अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध करने हेतु भारत सरकार से प्राप्त होने वाला सस्ते मूल्य का कागज अनुमोदित लघु औद्योगिक इकाईयों को आवंटित किया जाता है ताकि वे अभ्यास पुस्तिकाएं तैयार करके शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकें।

8.4 खेलकूद

खेल कूद के विषय को राज्य शिक्षा संस्थाओं की शिक्षण पद्धति में उचित स्थान प्राप्त है। प्रायः खेलों पर व्यय शिक्षा संस्थाओं की निधियों में से किया जाता है। खेलों के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1982-83 में 1,000/- रुपए का अनुदान दिया गया। वर्ष 1982-83 में हरियाणा के स्कूलों के बच्चों ने सी० के० नायडू क्रिकेट टूर्नामेंट, चण्डीगढ़ तथा रांची में नैशनल वालीबाल चैम्पियनशिप में भाग लिया।

8.5 रैडक्रास

रैडक्रास संस्था समाज में रोगियों, अंगहीनों, घायलों और निर्धनों की सहायता में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को छात्रों में प्रिय बनाने के लिए राज्यों में जिला स्तर पर जूनियर रैडक्रास संस्थाएं जिला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में स्थापित की गई है। शिक्षा संस्थाओं के रैडक्रास फण्ड से आवश्यकता ग्रस्त बच्चों को पुस्तकें तथा वर्दियां खरीदने और चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में एकीकृत रैडक्रास फण्ड की राशि में से कुछ प्रतिशत भाग साकेत में अंगहीन बच्चों तथा व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु हर वर्ष दिया जाता है।

8.6 भारत स्काउट्स एवं गाईड्स

राज्य की शिक्षा संस्थाओं में भारत स्काउट्स एवं गाईड्स आन्दोलन छात्रों में भ्रातृ प्रेम तथा नेतृत्व की भावना और जनजाति की सेवा करने के भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलाया जाता है। यह आन्दोलन हरियाणा भारत स्काउट्स तथा गाईड्स एसोसियेशन के संरक्षण में चल रहा है। वर्ष 1982-83 में राज्य सरकार द्वारा इस संस्था को 2.20 लाख रुपए अनुदान के रूप दिए गए। हरियाणा स्काउट्स एवं गाईड्स एसोसियेशन द्वारा राज्य स्तर पर स्काउट्स के 14 शिविर लगाए गए जिनमें 1231 स्काउट्स ने भाग लिया जिला स्तर पर स्काउट्स के लिए भिन्न प्रकार के ट्रेनिंग कैम्पों का आयोजन किया गया। ये कैम्प कुरुक्षेत्र, सोनीपत, सिरसा जीन्द, भिवानी तथा अम्बाला में लगाए गए। राष्ट्रीय जम्बोरी का बोध गया (बिहार) में 27-12-82 से 31-12-82 तक आयोजन किया गया। इसमें 650 स्काउट्स ने भाग लिया। राज्य स्तर पर गाईड्स के 5 कैम्प लगाए गए। जिनमें 463 गाईड्स ने भाग लिया। राज्य स्तर पर गर्ल्ज गाईड्स रैली का आयोजन किया गया। जिसमें 100 ने भाग लिया।

8.7 भाषा अनुभाग

शिक्षा विभाग में एक भाषा अनुभाग स्थापित है। यह अनुभाग हरियाणा राज्य के विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों आदि से प्राप्त प्रशासनिक सामग्री का

अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कर कार्य करता है, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण, वित्त मन्त्री का भाषण, बजट, विभिन्न विभागों आदि के मेनुअल, संहितायें, ज्ञापन, प्रशासनिक रिपोर्ट तथा प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रपत्रों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य सम्मलित है । वर्ष 1982–83 के दौरान 2530 मानक पृष्ठों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद तथा इस अनुवाद का टाइपकृत प्रतियों में मिलान एवं अन्तिम वाचन सम्बन्धी कार्य किया गया

8.8 जनसंख्या शिक्षा

जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को चलाने हेतु एस0सी0आर0ई0टी0 गुड़गावां में एक जनसंख्या शिक्षा सैल की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य अध्यापकों तथा बच्चों को जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागृत करना है तथा उन्हें तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के कारणों के प्रति तथा परिणाम स्वरूप टूटते जा रहे जीवन मूल्यों के प्रति सजग बनाना है ।

एस0सी0इ0आर0टी0 गुड़गावां में स्थापित जनसंख्या सैल के प्रोजैक्ट डायरैक्टर निदेशक, एस0सी0आर0टी0 गुड़गावां है। हरियाणा राज्य को चार जनसंख्या शिक्षा मण्डलों में बांटा गया है और प्रत्येक मण्डल जनसंख्या शिक्षा अधिकारी के अन्तर्गत तीन तीन जिले हैं ।

जनसंख्या शिक्षा के महत्व को समझाने हेतु स्कूलों के मुखियों तथा शिक्षा अधिकारियों के लिए ओरगेनाइजशन कोर्सिज का प्रबन्ध किया गया हैं । सभी श्रेणियों के बच्चों के लिए जन संख्या शिक्षा सम्बन्धी पाठन सामग्री भी तैयार की गई तथी पाठ्यक्रम में भी इस विषय को स्थान दिया गया।

8.9 राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान योजना के अन्तर्गत इन अध्यापकों/अध्यापिकाओं और उनके आश्रितों को जो विपताग्रस्त में हों, आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा दिवस पर राशि झण्डा चन्दे के रूप में एकत्रित की जाती है और इस राशि से प्रतिष्ठान मृतक अध्यापकों के दाह संस्कार; सेवानिवृत अध्यापकों को उनकी लड़कियों की शादी पर तथा उनकी लम्बे समय की बिमारी पर भी सहायता देता हैं। कार्यरत अध्यापकों को उनकी बिमारी तथा उनके बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी सहायक है।

वर्ष 1982–83 में इस योजना के अन्तर्गत 4,72,331 रुपये की सहायता दी गई है और 42800/– रुपयों की राशि शिक्षकों के बच्चों को मैट्रिक पश्चात् शिक्षा पाने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में दी गई है। वर्ष 1982–83 में राज्य के 10 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रत्येक शिक्षक को 1000/– रु0 नकद, एक रजत पदक तथा एक सर्टीफिकेट से अलंकृत किया गया है। इन्हें पांच वर्षों के लिए दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दी गई।

8.10 हरियाणा साहित्य अकादमी

राज्य सरकार द्वारा एक हरियाणा साहित्य अकादमी का भी गठन किया हुआ है। यह संस्था (1) राज्य में साहित्यिक स्तर को उन्नत करती है, सभी भाषाओं की साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित एवं समन्वित करती है तथा हरियाणा की साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्पराओं में अनुसंधान को बढ़ावा देती है। (2) हिन्दी भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार कराने के लिए मार्ग दर्शन और नीति निर्धारित करती है। विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अकादमी को दो भागों में बांटा गया है। (क) साहित्य विकास प्रभाग तथा (ख) ग्रंथ अकादमी प्रभाग।

(क) साहित्य विकास प्रभाग

रिपोर्टाधीन अवधि में हिन्दी, पंजाबी तथा उर्दू में कविता कहानी, एकांकी तथा निबंध के छः संकलन प्रकाशित किये गये। हरियाणा की कला, संस्कृति, इतिहास, साहित्य और लोक साहित्य सम्बन्धी पुस्तकें तैयार की गई तथा हरियाणवी हिन्दी शब्द कोष मुद्रणार्थ प्रैस भेजा गया। हरियाणा की कला, संस्कृति, इतिहास, साहित्य और लोक साहित्य के सम्बन्धित पी0एच0डी0 के लिए स्वीकृति दी शोध निबन्ध मुद्रण हेतु प्रैस भेजे गये (1) हरियाणा की लोक नाटय परम्परा (2) हिन्दी और हरियाणवी का व्यातिरेक विशेषण। पुस्तक प्रतियोगता के अन्तर्गत हिन्दी, पंजाबी और उर्दू में साहित्य की विभि विधाओं के अन्तर्गत प्राप्त 67 पुस्तकों के मूल्यांकनोपरान्त 11 पुस्तकों के लिए 9500/– रुपये के पुरस्कार स्वीकृत किये गये। राज्य के हिन्दी, पंजाबी, उर्दू तथा संस्कृत के लेखकों को अपनी अप्रकाशित पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायता अनुदान

दिया जाता है। जो पाण्डुलिपियां अनुदान के लिए स्वीकृत की जाती है इनमें से प्रत्येक को 2000/- रुपये या प्रकाशन का व्यय का 50 प्रतिशत जो भी कम हो दिया जाता है। वर्ष 1982-83 में 31 पुस्तकें प्रकाशित हुई जिनमें प्रकाशन के लिए 59889 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। 23 अप्रकाशित पुस्तकें प्रकाशन के लिए स्वीकृत की गई। वर्ष 1982-83 में हिन्दी, पंजाबी उर्दू तथा संस्कृत में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा 16 साहित्यक उत्सवों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान के रूप में 12950 रुपये की राशि दी गई/स्वीकृत की गई। मण्डल तथा राज्य स्तर पर नाटक मंचन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई इनमें चार नाटक मण्डलियों ने भाग लिया, विजेताओं को दो विज्योपहार तथा 1800 रुपये के नकद पुरस्कार दिये गये। हिन्दी कहानी प्रतियोगिता में प्राप्त 77 कहानियों के मुल्यांकन के पश्चात 3 लेखकों को 1000 रुपये की राशि के पुरस्कार दिये गये।

केन्द्र चालित योजना के अन्तर्गत राज्य के तीन अभावग्रस्त संस्कृत पंण्डितों अथवा उनकी विधवाओं को 8000/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

(ख) ग्रंथ अकादमी प्रभाग

वर्ष 1982-83 के दौरान ग्रंथ अकादमी प्रभाग ने मानविकी तथा विज्ञान के विभिन्न विषयों पर दो पुस्तकें प्रकाशित की। दो पूर्व प्रकाशित पुस्तकों के नये संस्करण भी प्रकाशित किये गये। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कुल 255106 रुपये की ग्रास मूल्य की पुस्तकों की बिक्री की गई।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,Sri Aurobindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No....D-4497
18497—D Date

NIEPA DC
D04497